2012:CGHC:9907-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिंह, न्यायाधीश.

दांडिक अपील संख्या 595/1997

अकाली लक्ष्मण

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और

(संबंधित सीआर.ए. संख्या 603/1997)

निर्णय

विचारार्थ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय को उद्घोषणा हेतु दिनांक 12/07/2012 के लिए सूची बद्ध करें।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

10/07/2012

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सीआर.ए. क्रमांक 595 और 603, 1997

2012:CGHC:9907-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम :माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिंह, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 595/1997

अपीलार्थी अकाली लक्ष्मण, पिता लखमू, लगभग 30 वर्ष, किसान, निवासी-ग्राम गुटोली, पुलिस थाना गीदम, जिला बस्तर ।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी मध्य-प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

एवं

दांडिक अपील संख्या 603/1997

अपीलार्थी 1. तामो हिरमा, पिता गुडरू जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष।

2. तामो पहांडी, पिता गुडरू जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष।

दोनों गुटोली निवासी गांव, गीदम पुलिस स्टेशन, जिला बस्तर

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपीलें)

उपस्थिति:

श्री आर.एन. झा, सीआर.ए. क्रमांक 595/1997 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्रीमती किरण जैन, सीआर.ए. क्रमांक 603/1997 में अपीलकर्ताओं की अधिवक्ता।

श्री अरविंद दुबे, राज्य की ओर से अधिवक्ता।

निर्णय

(12.07.2012)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा ने न्यायालय का फैसला सुनाया।

(1) ये अपीलें द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर, बस्तर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 321/96 में दिनांक 12 फरवरी, 1997 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। उक्त निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को धारा 302/34 भा.दं.सं के तहत सिद्धोष पाते हुऐ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि 3.3.96 को दोपहर लगभग 12 बजे, मृतक तामुभीमा आरोपी तामो पहांडी (ए-3) के घर गया। उसने अपना गमछा मांगा जो उसने उसके घर पर छोड़ दिया था। (ए-3) ने गमछा लौटाने से इनकार कर दिया, जिस पर झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि उसी समय आरोपी अकाली लक्ष्मण (ए-1) और तामो हिरमा (ए-2) भी वहां आ गए। ए-1 के पास लाठी थी, ए-2 के पास रॉड थी और ए-3 के पास टांगिया थी। सभी ने मृतक पर बेरहमी से हमला किया। मृतक को निम्नलिखित चोटें आईं और इन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई:

(i) खोपड़ी के पिछले भाग के बाएँ हिस्से पर 3 x 1½ x ½ से.मी का चीरा लगा घाव;

(ii) बाएं कान के बाहरी भाग पर 3 x 1½ x 2 से.मी का चीरा लगा हुआ घाव; बाहरी भाग कटा हुआ था;

(iii)पश्चकपाल क्षेत्र पर 5 x 1½ से.मी x हड्डी तक गहरा चीरा लगा हुआ घाव;

(iv) दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर 2 x 1½ से.मी x हड्डी की गहराई का चीरा घाव;

(v). बाएँ पार्श्विका क्षेत्र पर 2 x 1½ x ½ से.मी का चीरा घाव;

(vi) बाईं आंख के पास 2 x 1½ x ½ से.मी x हड्डी की गहराई का चीरा घाव;

(vii) गर्दन के दाहिने ऊपरी भाग पर 4 x 2 x 1½ से.मी का आघात;

(viii) दाहिने कंधे के पीछे 5 x 1 से.मी का खरोंच;

(ix) बाएं कंधे के पीछे 8 x 1 से.मी का खरोंच।

आंतरिक जांच में पाया गया कि पश्चकपाल क्षेत्र और मेडुला ऑबलोंगाटा क्षेत्र में अतिरिक्त-ड्यूरल रक्तस्राव था। शव परीक्षण सर्जन ने राय दी कि सभी चोटें मृत्यु से पहले की थीं। चोटें संख्या (i) से (vi) धारदार हथियार से लगी थीं और अन्य चोटें कठोर और खुरदरी वस्तु से लगी थीं। मृत्यु का कारण सिर की चोट के कारण हृदय-श्वसन अवरोध था और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-पी/10 है, जिसे डॉ. वी.एस. रघुवंशी (अ.सा-6) ने प्रमाणित किया। घटना के साक्षी बोगामी कोपे (अ.सा-2), तमोबती बाई (अ.सा-3) और अतामी मणिराम (अ.सा-8) थे। अतामी मणिराम (अ.सा-8) ने मृतक के भाई तमो मंग्लू (अ.सा-1) को घटना की जानकारी दी, जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर. प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराई। आगे की जांच में, अपीलकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके ज्ञापन बयान दर्ज किए गए तथा उनकी सूचना पर हथियार जब्त किए गए। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए रायपुर स्थित विधी विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया। हालांकि रायपुर स्थित एफएसएल की रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी, लेकिन कलकत्ता प्रयोगशाला की सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट (प्रदर्श.-P/11-A) दाखिल की गई, जिससे पता चला कि मिट्टी और चादर पर पाए गए रक्त के धब्बे मानव रक्त के थे, हालांकि, टंगिया पर पाए गए रक्त के धब्बों का स्रोत विघटन के कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। वाद के दौरान, अतामी मणिराम (गवाह-8) पक्षद्रोही गया। हालांकि, बोगामी कोपे (अ.सा-2) और तमोबती बाई (अ.सा-3) ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। माननीय सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त दोनों चक्षुदर्शी की गवाही पर अवलंण लेते हुए अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अनुसार सिद्धदोष पाया और सजा सुनाई।

(3) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दोनों चक्षुदर्शी साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं। बोगामी कोपे (अ.सा-2) मृतक की बहन है और तमोबती बाई (अ.सा-3) मृतक की पत्नी है, इसलिए वे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हितबद्ध साक्षी हैं; वैकल्पिक रूप से, यह भी तर्क दिया गया कि मुख्य हमला तमो पहांडी (ए-3) ने किया था जिसने टंगिया का इस्तेमाल किया था, इसलिए अकाली लक्ष्मण (ए-1) और तमो हिरमा (ए-2) को सिद्धदोष पाया जाना उचित नहीं है। भा.दं.सं की धारा 34 को मान्य नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ***गोपाल सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, 1995 एससीसी (क्रि) 146*** और ***पलानीसामी उर्फ सेम्बट्टायन बनाम तमिलनाडु राज्य,(2006) 3 एससीसी (क्रि) 541*** के निर्णयों का अवलंण लिया हैं।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) विधी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रिश्तेदारों को असत्य गवाह माना जाए। इसके विपरीत, पक्षपात का आरोप लगाते समय यह साबित करना आवश्यक है कि गवाहों के पास असली अपराधी को बचाने और आरोपी को झूठा फंसाने का कारण था। मृतक या अपराध के शिकार व्यक्ति के रिश्तेदार को 'हितबद्ध' नहीं कहा जा सकता। 'हितबद्ध' शब्द का अर्थ है कि गवाह का किसी न किसी प्रकार से, द्वेष या किसी अन्य कुटिल उद्देश्य से आरोपी को दोषी ठहराने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'हित' हो। एक करीबी रिश्तेदार को 'हितबद्ध' गवाह नहीं कहा जा सकता। वह एक 'स्वाभाविक' गवाह है। हालांकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जांच में उसका साक्ष्य स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो ऐसे गवाह की 'एकमात्र' गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का करीबी रिश्ता उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक के करीबी रिश्तेदार आमतौर पर असली अपराधी को बख्शने और किसी निर्दोष को झूठा फंसाने के लिए बेहद अनिच्छुक होते हैं। रिश्ता ऐसा होता है यह किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार असली अपराधी को छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता। यदि झूठे आरोप का दावा किया जाता है, तो आधार तैयार करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होता है और साक्ष्यों का विश्लेषण करके यह पता लगाना होता है कि वे ठोस और विश्वसनीय हैं या नहीं। ऐसा कोई अटल नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे गवाह नहीं हो सकते और वे हमेशा न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देंगे। मृतक का कोई करीबी रिश्तेदार स्वतः ही हितबद्ध साक्षी नहीं बन जाता। हितबध गवाह वह होता है जो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रतिशोध, शत्रुता या विवादों के कारण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में रुचि रखता है और केवल इसी आशय से न्यायालय के समक्ष गवाही देता है, न कि न्याय के उद्देश्य से। हालांकि, हितबद्ध साक्षी के बयान को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। जब उनके बयानों की पुष्टि अन्य गवाहों, विशेषज्ञ साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों से होती है, जो स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हुए साक्ष्यों की श्रृंखला को पूरा करते हैं, तब न्यायालय तथाकथित "हितबध गवाहों" के बयानों पर अवलंण ले सकता है। (देखें: ***हरबंस कौर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2005 AIR SCW 2074; नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 AIR SCW 1835; सोनेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2008 AIR SCW 7988; और धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य और अन्य संबंधित अपीलें, (2010) 7 SCC 759)***।

(7) इसलिए, यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि मृतक के रिश्तेदार होने के कारण उनके साक्ष्यों पर अवलंण नहीं लिया जा सकता। हालांकि, उनके साक्ष्यों की उचित सावधानी और सतर्कता से जांच की जानी चाहिए और यदि ऐसे साक्ष्य विश्वसनीय पाए जाते हैं, तो उनके साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) अब हम उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बोगामी कोपे (अ.सा-2) और तमोबाती बाई (अ.सा-3) के साक्ष्य की परीक्षण करेंगे।

(9) बोगामी कोपे (अ.सा-2) मृतक की बहन हैं। उन्होंने गवाही दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सबसे पहले अकाली लक्ष्मण (ए-1) ने मृतक के सिर पर डंडे से प्रहार किया। मृतक गिर पड़ा। इसके बाद तमो पहंडी (ए-3) ने मृतक पर टांगिया से हमला करना शुरू कर दिया। फिर तमो हिरमा (ए-2) ने मृतक पर लोहे की छड़ से हमला किया। उस समय तमोबती बाई (अ.सा-3) भी वहां मौजूद थीं। उन्होंने मृतक को बचाने की कोशिश की। आतामी मणिराम (अ.सा-8) ने भी घटना देखी थी। मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनकी डायरी में लिखे बयान (प्रदर्श-डी/1) के आधार पर उनसे प्रती परीक्षा की गई है, जिसमें उन्होंने मृतक पर हुए हमलों का क्रम नहीं बताया है। हमने उनकी डायरी में लिखे बयान को पढ़ा है, जिसमें उन्होंने तीनों आरोपियों पर आरोप लगाए हैं और उनके पास मौजूद हथियारों का विवरण दिया है और कहा है कि सभी ने उनके भाई पर उपरोक्त हथियारों से हमला किया था। डायरी में दर्ज बयानों में हमले के क्रम का विवरण न देने मात्र से उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। हमें उनके संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना होगा। आगे की प्रतीपरीक्षा में उन्होंने दृढ़तापूर्वक बयान दिया कि उन्होंने घटना को बहुत कम दूरी से देखा था; आरोपी व्यक्तियों के हाथों में लाठी, रॉड और टंगिया थी। उन्होंने इस बात का

विवरण दिया कि किसके हाथ में कौन सी वस्तु थी और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थीं।

(10) तमोबती बाई (अ.सा.-3) मृतक की पत्नी हैं। उन्होंने गवाही दी कि मृतक ने पहले अपना गमछा तमो पहंडी (ए-3) के घर में छोड़ा था। वह (मृतक) अपना गमछा लेने के लिए ए-3 के घर गया था। वह भी उसके पीछे गई थी। वहाँ ए-1 ने उस पर हमला किया। मृतक को डंडे से पीटा गया। इसके बाद ए-3 ने उसे टांगिया से और ए-2 ने उसे रॉड से मारा। फिर ए-3 ने उसे दोबारा टांगिया से पीटा। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो ए-3 ने उसे भी पीटा। जब आरोपी उसके पति पर हमला कर रहे थे, तभी बोगामी कोपे (अ.सा.-2) भी वहां आ गई। इसके बाद सभी आरोपी जंगल की ओर भाग गए। उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई। उसने इस बात से इनकार किया कि वह अपने पति के साथ घटनास्थल पर नहीं गई थी और उसने घटना नहीं देखी थी। उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज होने से भी इनकार किया। उसकी डायरी में लिखे बयान (प्रदर्श.-D/2) में कुछ मामूली लोप दर्ज की गई हैं। ये लोप महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए, उसका साक्ष्य यथावत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) यह आवश्यक नहीं है कि चक्षुदर्शी साक्षी अपने बयानों में एक ही तरह की बातें कहें, और यदि वे हमले के क्रम को बताने में गलती करते हैं, तो उनके पूरे साक्ष्य को नकार देना चाहिए। यदि उनके संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन पर चक्षुदर्शी साक्ष्य विश्वसनीय पाए जाते हैं, और उनके साक्ष्य न्यायालय का विश्वास जगाते हैं, तो दोषसिद्धि उनके बयानों पर आधारित हो सकती है।

(12) हमने बोगामी कोपे (अ.सा.-2) और तमोबती बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। उनके साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्यों से पुष्ट होते हैं। यह एक छोटे से गाँव में दिन के समय हुई घटना है। अपीलकर्ताओं और मृतक के घर आस-पास ही स्थित हैं। गलत पहचान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि दोनों समूहों के लोग एक-दूसरे को जानते थे। हमारा मानना है कि माननीय सत्र न्यायाधीश इन दोनों गवाहों की गवाही पर अवलंण लेने में पूरी तरह से उचित थे, और उनके बयानों को मात्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है की वे मृतक के रिश्तेदार हैं।

(13) अब हम सामान्य आशय से संबंधित तर्क पर विचार करेंगे।

(धारा 34 भा. दं. सं)।

(14) भारतीय दंड संहिता की धारा 34 आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यह धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और इससे कोई ठोस अपराध उत्पन्न नहीं होता। इस धारा की विशिष्ट विशेषता अपराध में सहभागिता का तत्व है। यदि किसी आपराधिक कृत्य में कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर कोई अपराध किया जाता है और वह अपराध उन व्यक्तियों के साझा आशय से किया गया हो, तो धारा 34 के तहत उस व्यक्ति का दायित्व बनता है। साझा आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है, इसलिए ऐसे आशय का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। साझा आशय के आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा यह साबित करना होगा कि सभी आरोपियों ने धारा 34 के तहत आरोपित अपराध करने की योजना बनाई थी या उनके बीच सहमति थी, चाहे वह पूर्व-निर्धारित हो या तात्कालिक; लेकिन यह अपराध होने से पहले होना अनिवार्य है। इस धारा का मूल अर्थ यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानून की दृष्टि में स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने वह कार्य व्यक्तिगत रूप से किया हो। किसी अपराध में शामिल व्यक्तियों के बीच एक समान आशय का होना इस धारा के लागू होने का अनिवार्य तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध करने के आरोप में आरोपित विभिन्न व्यक्तियों के कृत्य एक समान या हूबहू हों। समान कृत्य प्रकृति में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान लागू होने के लिए उनका एक ही सामान्य आशय से प्रेरित होना आवश्यक है। कृपया ***अनिल शर्मा और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2004) 5 एस. सी. सी 679*** देखें। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि 1870 में, धारा 34 में "व्यक्तियों" शब्द के बाद और "प्रत्येक" शब्द से पहले "सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने" शब्द जोड़कर संशोधन किया गया था, ताकि धारा 34 का उद्देश्य स्पष्ट हो सके। धारा में "सभी का सामान्य आशय" या "और सभी के लिए सामान्य आशय" नहीं कहा गया है। धारा 34 के प्रावधानों के तहत, दायित्व का सार आरोपी को प्रेरित करने वाले एक सामान्य आशय के अस्तित्व में पाया जाता है, जिसके कारण उसने ऐसे आशय को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य किया। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानूनन इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त मृतक की मृत्यु का कारण बनने वाले कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे कि वह कृत्य केवल उसी ने किया हो। यह प्रावधान ऐसे मामले से निपटने के लिए है जिसमें किसी पक्ष के उन व्यक्तिगत सदस्यों के कृत्यों में अंतर करना कठिन हो सकता है जो सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं या यह साबित करना कठिन हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में क्या भूमिका निभाई थी।

(15) ***दानी सिंह - बनाम- बिहार राज्य, 2005 एस. सी. सी (आपराधिक) 127 (पैरा 20)*** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सामान्य आशय को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक आरोपी का

आशय बाकी सभी को ज्ञात हो और वे उसे साझा करते हों। निःसंदेह, किसी व्यक्ति के आशय को भी साबित करना कठिन है, और इसलिए व्यक्तियों के समूह के सामान्य आशय को साबित करना और भी कठिन है। लेकिन कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, अभियोजन पक्ष को तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करना होगा। अभियुक्त का आचरण जिससे उनके सामान्य आशय का सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। अधिकांश मामलों में, इसे उनके कृत्य, आचरण या व्यवहार से ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मामले की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियाँ भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या अभियुक्तों का अपराध करने का कोई साझा इरादा था जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है, सभी परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। मामलों के तथ्य और परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं और प्रत्येक मामले का निर्णय उसमें शामिल तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कोई कार्य साझा आशय की पूर्ति में है या नहीं, यह तथ्य का विषय है, विधी का नहीं।

(16) वर्तमान प्रकरण में, जब मृतक ए-3 के घर पहुँचा और उसने अपना गमछा माँगा, तो तीनों अपीलकर्ताओं ने लाठी, रॉड और टांगिया से लैस होकर मृतक पर हमला करना शुरू कर दिया। जब मृतक को पहला प्रहार लगा और वह गिर पड़ा, तब भी अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त हथियारों से उस पर हमला जारी रखा। मृतक को कुल 9 चोटें आईं, जिनमें से 6 घाव चीरे के थे और 3 खरोंच और नील के थे। चोटों की संख्या और प्रकृति, हमले का तरीका और अपीलकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार से मृतक की हत्या करने का उनका इरादा स्पष्ट होता है। उपरोक्त दो में चक्षुदर्शी के समग्र साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ताओं के उपरोक्त कृत्य और आचरण एक सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) श्री झा द्वारा उद्धृत *पलानीसामी उर्फ सेम्बट्टायन* (उपरोक्त) का निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न है। उक्त मामले में, अपीलकर्ता ने मृतक के हाथ पर केवल एक चोट पहुंचाई थी और उसके बाद उसने हथियार वहीं छोड़ दिया और घटनास्थल से भाग गया। दूसरे आरोपी ने कई अन्य घातक चोटें पहुंचाई थीं। इसका मतलब है कि अपीलकर्ता ने हाथ पर केवल एक चोट पहुंचाने के बाद घटनास्थल छोड़ दिया था और फिर उस पर घातक वार किए गये थे। इसलिए यह माना गया कि अपीलकर्ता मृतक की हत्या करने के सामान्य आशय में शामिल नहीं था।

(18) गोपाल सिंह (उपरोक्त) मामले में, मृतक को मुख्य रूप से दो चोटें आई थीं। एक दाहिनी ओर खोपड़ी के पिछले हिस्से पर और दूसरी बाईं ओर। अन्य चोटें बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर घाव और

खरोंच थीं। अपीलकर्ता लाठियों से लैस थे। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यह भूमि विवाद के कारण अचानक हुआ मामला था और अपीलकर्ताओं ने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया था। इस प्रकार, समान आशय एक जैसा नहीं था।

(19) इस मामले में मृतक को 9 चोटें आई थीं और सभी अपीलकर्ताओं ने एक साथ मृतक पर हमला किया था। बल्कि हमला उन दो अपीलकर्ताओं में से एक ने शुरू किया था, जिनके पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि उनका इरादा एक जैसा नहीं था। इसलिए, उपरोक्त निर्णय भिन्न हैं, और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता कि लाठी और डंडे से लैस दो अपीलकर्ताओं (ए-1 और ए-2) का तीसरे अपीलकर्ता (ए-3) के साथ एक जैसा सामान्य आशय नहीं था, जो टंगिया से लैस था।

(20) उपरोक्त कारणों से, हमें इन अपीलों में कोई सार नहीं मिलता। ये अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषामें इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Adv. Abhishek Kumar Rai.